

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशोंक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/ /2023 दि0 लखनऊ:04 अगस्त, 2023

—:: संशोधित आदेश ::—

मुख्यालय के संशोधित आदेशोंक 923/2023 दिनांक 21-07-2023 के द्वारा आगरा में युगलपीठ का गठन दिनांक 07-08-2023 से 10-08-2023 तक करते हुए युगलपीठ के सदस्य के रूप में न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, झांसी पीठ झांसी एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, कानपुर को नामित किया गया था।

न्यायिक सदस्य पीठ झांसी श्री नवीन कुमार सिंह द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या-176 दिनांक 02-08-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री सिंह व्यक्तिगत कारणों से उक्त अवधि में गठित खण्डपीठ में सम्मिलित होने में असमर्थ हैं। उनके द्वारा उन्हें उक्त खण्डपीठ से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

समस्त तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-झांसी के स्थान पर न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम, इलाहाबाद श्री राजीव रंजन को नामित किया जाता है। शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0-04-08-2023,

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/पू0पी0संशो0/953/2023 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्तव्य हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, इलाहाबाद, पीठ-झांसी, पीठ-2, कानपुर एवं पीठ-1 व 2 आगरा।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,



निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।